भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4022

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

4022. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने वर्ष 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है और यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस योजना के अंतर्गत अधिकतम वृद्धि देखी गई है;

(ख) पीएलआई योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ग) इस पहल के कारण घरेलू उत्पादन और निर्यात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या पीएलआई योजना के लाभ को तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में समान रूप से वितरित किया गया है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रवार विशेषकर तमिलनाडु में कितनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार किया गया है;

(च) क्या पीएलआई योजना से भारत से होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात वृद्धि के आंकड़े क्या हैं; और

(छ) व्यापार घाटे और आयात निर्भरता को कम करने पर पीएलआई योजना का क्या प्रभाव पड़ा है और इस योजना के अंतर्गत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97

लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी) (x) खाद्य सामग्री, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र आदि में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि उनकी मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

विधिवत अनुमोदन के बाद संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमें अधिसूचित की गई हैं। ये स्कीमें कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार, 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों के तहत 764 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में इस स्कीम के तहत स्थापित या विस्तारित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। ये स्कीमें पूरे भारत में लागू हैं और निवेश स्थल का चयन आवेदकों के विवेक पर निर्भर करता है।

दिसंबर, 2024 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.61 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 11.5 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। पीएलआई स्कीम के तहत, दिसंबर 2024 तक, 9 क्षेत्रों अर्थात् बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स तथा ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए 13,029 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान से निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पीएलआई स्कीम के तहत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो मोबाइल फोन के निवल आयातक से निवल निर्यातक में परिवर्तित हो गया है। मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन, वर्ष 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में काफी गिरावट आई है। निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2023-24 में केवल 0.3 करोड़ यूनिट का आयात किया गया। पीएलआई स्कीम ने वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स बाजार में भी भारत की स्थिति को मजबूत किया है, जिससे यह मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब देश के फार्मास्यूटिकल उत्पादन का 50% हिस्सा निर्यात होता है और भारत ने पेनिसिलिन जी जैसी आवश्यक बल्क ड्रग्स का घरेलू स्तर पर विनिर्माण करके आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत, 19 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शुरू की गई हैं और 44 उत्पादों का उत्पादन भी शुरू हो गया है, जिनमें हाई एंड चिकित्सा उपकरणों जैसे कि लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई मशीन, सीटी-स्कैन, मैमोग्राम, सी-आर्म्स, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि शामिल हैं, जिन्हें पहले देश में आयात किया जाता था।

*****

अनुबंध

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4022 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**विनिर्माण इकाइयों की संख्या**
1	मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक	6
2	इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद	1
3	महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां	2
4	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	2
5	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	16
6	एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	1
7	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	46
8	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	14
9	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	11
10	खाद्य उत्पाद	12
11	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल	3
12	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	7
13	विशेष इस्पात	1
14	ड्रोन और ड्रोन घटक	3
कुल		**125**

*****